कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर छत्तीसगढ़

email:- bsp.jd18@gmail.com फोन नं. -07752-493695

क/अशास./मान्य.नवीनी./Mungeli-E /2021-22/20- 443 बिलासपुर,दि. 12.04.2022

प्रति,

प्रबंधक/प्राचार्य
त्रिमुर्ति पब्लिक स्कूल सरगॉव
वि.खं – पथरिया
जिला – मुंगेली (छ.ग.)

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की धारा 190, के प्रयोजन के लिये नियम 11 के उप–नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता नवीनीकरण प्रमाण पत्र।

संदर्भः– आपका आवेदन पत्र. दि. 28.02.2022।

संदर्भित आवेदन के अनुक्रम में एवं प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर आपकी संस्था में सत्र 2015–16 से हाई स्कूल स्तर की कक्षाएं एवं वर्तमान में हायर सेकेण्डरी स्तर की कक्षाएं संचालित की जा रही है, परन्तु आपके द्वारा तत्समय जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली से हाई स्कूल / हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित करने हेतु मान्यता नहीं ली गई है। ततसंबंध में आपके संस्था को अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि 95000.00 (रुपयें पन्चानबे हजार मात्र) शासन के निर्धारित हेड में चालान के माध्यम से आपके द्वारा जमा करने एवं निरीक्षण टीम द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर आपकी संस्था त्रिमुर्ति पब्लिक स्कूल सरगॉव वि.खं – पथरिया, जिला – मुंगेली (यू डाइस कोड – 22192109014) अंग्रेजी माध्यम को सत्र 2014–15 से सत्र 2022–23 तक कक्षा नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की कक्षा संचालित करने की कार्योत्तर मान्यता प्रदान करते हुए सत्र 2024–25 तक मान्यता नवीनीकरण की संसूचना छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के प्रशासकीय आदेश कमांक एफ –02–39/2019/20 –दो अटल नगर दिनांक 13.11.2019 के परिपालन में निम्नलिखित नियम एवं शर्त के अधीन दिया जाता है :–

मान्यता/नवीनीकरण के नियम एवं शर्ते

1. प्रवेशित कक्षा से कक्षा 8 वीं तक निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 15 के उप नियम (1) के तहत् उल्लेखित मानकों के सभी शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. विद्यालय का संचालन लाभ नही हानि नही (No loss No Profit) के आधार पर संचालन किया जायेगा।
3. सोसायटी/विद्यालय, किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
4. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के अधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
5. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों के अनुसार विद्यालय के लिये निम्नलिखित अधोरंरचना होना अनिवार्य है :–

- विद्यालय का भवन–प्रत्येक कक्षा के लिये पृथक–पृथक कक्षा अध्यापन कक्ष एवं आवश्यकतानुसार प्रयोगशाला कक्ष एवं उपकरण आदि।

DIRECTOR
TRIMURTY PUBLIC SCHOOL
SARGAON (C.G.)

PRINCIPAL
Trimurty Public School
Sargaon, Dist. Mungeli C.G.)

Scanned by CamScanner

- खेल का मैदान।
- प्राचार्य / प्रधान पाठक एवं स्टाफ के लिये पृथक – पृथक कक्ष।
- स्टाफ,छात्र,छात्राओं के लिये पृथक – पृथक शौचालय की व्यवस्था।
- दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये पृथक शौचालय की व्यवस्था।
- प्रत्येक विद्यार्थी को बैठने के लिये फर्नीचर की व्यवस्था।
- कक्षा स्तर अनुसार योग्य एवं प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था।
- शुद्ध पेयजल सुविधा, अग्नि शमन यंत्र,
- बाधारहित पहुंच मार्ग , आदि
- क्रीड़ा खेलकूद के उपकरणों / पुस्तकालय / प्रयोग शाला की पृथक – पृथक उपलब्धता।

6. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकरण किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा संचालित होगा।
7. विद्यालयों के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष तैयार किया आवश्यक होगा। प्रत्येक लेखा विवरण / आडिट की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी होगी।
8. आपके विद्यालय को यू डाईसं – 22192109014 को पत्राचार के लिए उल्लेख करें।
9. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो छ.ग.शासन एवं संचालन लोक शिक्षण संचालनालय / संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए गये हो।
10. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण जीवित पंजीयन / नवीनीकरण होना आवश्यक है।
11. विद्यालय बंद करने या आगे संचालन नही करने की स्थिति में संयुक्त संचालक / जिला शिक्षा अधिकारी / वि.खं. शिक्षा अधिकारी को तीन मास पूर्व लिखित में कारण सहित संसूचित करने होंगें।
12. छ.ग.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
13. कोविड 19 के संबंध में छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश का पालन करते हुये शाला का संचालन करना होगा।

संयुक्त संचालक
शिक्षा संभाग बिलासपुर
छत्तीसगढ़

पृ. क / अशास. / मान्य.नवीनी. / Mungeli-E / 2021–22 / 20–443 A बिलासपुर,दि. 12-04-2022

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली (छ.ग.) को सूचनार्थ।

संयुक्त संचालक
शिक्षा संभाग बिलासपुर
छत्तीसगढ़

DIRECTOR
TRIMURTY PUBLIC SCHOOL
SARGAON (C.G.)

PRINCIPAL
Trimurty Public School
Sargaon, Dist. Mungeli C.G.)

Scanned by CamScanner

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुंगेली जिला–मुंगेली (छ.ग.)

PH. NO. 07755-264140 email.Id. mungelideo@gmail.com

क्र /5127/मान्यता/अनुमति/2021–22 मुंगेली दिनांक 21/01/2022

नवीनीकरण

प्रति,

प्रबंधन वर्ग
त्रिमूर्ति एजुकेशनल सोसायटी सरगांव
वि.ख. पथरिया जिला – मुंगेली (छ.ग.)

विषय :– बच्चो को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानून अधिकार 2009 के खण्ड 18 उद्देश्य के लिए बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून के नियम 2011 के उपनियम (4) तहत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक **27.12.2021** के संदर्भ में और एतद विषयक विद्यालय के पत्राचार/विद्यालय के निरीक्षण के उपरांत में त्रिमूर्ति पब्लिक स्कूल सरगांव (विद्यालय का नाम पता सहित) को कक्षा नर्सरी से आठवी तक के माध्यम अंग्रेजी के लिए 01 वर्ष की अवधि के लिए जो दिनांक **21/01/2022** से **30/04/2023** तक प्रभावशील रहेगा,अस्थायी मान्यता/अनुमति प्रदान करता हूं।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन हैः–

1. मान्यता की स्वीकृति परिवर्धनीय नहीं है और किसी भी प्रकार से कक्षा 10 के बाद की मान्यता से संबंधित नहीं है।
2. बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानुन 2009 (एनेक्सर) और बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 (एनेक्सर) विद्यालय के लिये बंधनकारी होगा।
3. विद्यालय पड़ोस के कमजोर वर्ग और सुविधाहीन समुह के बच्चों को कक्षा पहली की दर्ज संख्या के 25 प्रतिशत तक प्रवेश देगा और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करायेगा। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की स्थिति में भी यही मानक लागू होगा।
4. परिच्छेद 3 में संदर्भित बच्चों के लिए कानुन के खण्ड 12 के अनुसार विद्यालय की व्यय प्रतिपूर्ति की जावेगी। ऐसे प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने के लिए विद्यालय पृथक् बैंक खाता उपलब्ध करायेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय कोई भी केपिटेशन शुल्क नहीं लेगा,और न ही बच्चे का या उसके माता पिता का या पालकों का स्क्रीनिंग टेस्ट करेगा।
6. विद्यालय आयु प्रमाण पत्र के अभाव में साथ ही धर्म जाति या वंश जन्म स्थान या अन्य आधार पर किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं करेगा।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा किः–

1) प्रवेशित किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी कक्षा में रोका नहीं जायेगा या विद्यालय से निकाला नहीं जायेगा।
2) प्रवेशित किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जायेगी।
3) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक बोर्ड परीक्षा उत्तिर्ण करने की आवश्यक्ता नहीं है।
4) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले बच्चों को नियम 23 में यथानुसार प्रमाण पत्र प्रदान किया जावेगा।

E/DEO WORK/MAHENDRA SIR/MANYTA/1

DIRECTOR
TRIMURTY PUBLIC SCHOOL
SARGAON (C.G.)

PRINCIPAL
Trimurty Public School
Sargaon, Dist. Mungeli C.G.)

Scanned by CamScanner

5) कानून के प्रावधानों के अनुसार विकलांगता/विशेष आवश्यकता वाले छात्रों का समावेश।
6) शिक्षक कानून के खण्ड 23(1) में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यताओं सहित नियुक्त किये जाते है। 05 वर्ष की समयावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं प्राप्त करेंगे।
7) शिक्षकों को देय वेतन और भत्ते उनकी सेवा नियम व शर्तो कानून के खण्ड 23(3) के उद्देश्य के लिये नियम 18 के उपनियम (1) के तहत् राज्य सरकार द्वारा यथा अनुशंसित होगी।
8) शिक्षक कानून के खण्ड 24(1) के तहत् विशिष्टीकृत कर्तव्य पूरा करते है और शिक्षक स्वयं को निजी शिक्षण गतिविधियों में सलग्न नहीं करेंगे।
9) विद्यालय उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पाठ्य चर्या के आधार पर लागू करेगा।

8. विद्यालय कानून के खण्ड 19 में वर्णित विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक छात्रों को प्रवेश देगा।
9. विद्यालय कानून के खण्ड 19 में विशिष्टीकृत विद्यालय के स्तरों और मानकों को बनाये रखेंगे। अंतिम निरीक्षण के समय प्राप्त सुविधाएं निम्नानुसार है।
   विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल/कुल निर्माण का क्षेत्रफल/खेल के मैदान का क्षेत्रफल/अध्यापन कक्षाओं की संख्या/प्रधानपाठक सह कार्यालय, सह भंडार हेतु कक्ष/बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय/पेय जल सुविधा/मध्यान्ह भोजन पकाने हेतु किचन/बाधा रहित पहुंच/शिक्षण अधिगम सामग्री/खेलकूद के उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता।
10. विद्यालय परिसर के भीतर या समान नाम के विद्यालय में बाहर गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायेगा।
11. विद्यालय भवन या अन्य निर्माण या मैदान का दिन या रात में व्यवसायिक या आवासीय उद्देश्यों (विद्यालय के किसी कर्मचारी के आवासीय उद्देश्यों को छोड़कर) या राजनैतिक या अन्य प्रकार के अशैक्षणिक उपयोग नहीं किया जाता है।
12. विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1880 (1860 का 21) के तहत पंजीकृत सोसायटी द्वारा या किसी कानून के तहत् समयावधि के लिये गठित पब्लिक ट्रस्ट द्वारा संचालित है।
13. विद्यालय का संचालन किसी व्यक्ति, समूह या व्यक्तियों के समूह या अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं किया जायेगा।
14. लेखा परिक्षण कराया जाना चाहिये और चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित कराया जाना चाहिये और नियमानुसार एकाउन्ट स्टेटमेंट तैयार किया जाना चाहिये। एकाउन्ट स्टेटमेंट की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को प्रत्येक वर्ष भेजा जाना चाहिये।
15. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड नंबर 1003/23/04/2013 है। इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार में इसे अंकित किया जाए।
16. विद्यालय समय–समय पर शिक्षा संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चाही गई जानकारीयों और प्रतिवेदनों को प्रदाय करता है और मान्यता की शर्तो की सतत् पूर्ति करने या विद्यालय के संचालन में कमियों के निवारण के लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशो का अनुपालन करता है।
17. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, आवश्यकतानुसार को सुनिश्चित किया जावे।
18. अन्य शर्त एनेक्सर 3 के अनुसार संलग्न है।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला–मुंगेली छ.ग.

E/DEO WORK/MAHENDRA SIR/MANYTA/1

DIRECTOR
TRIMURTY PUBLIC SCHOOL
SARGAON (C.G.)

PRINCIPAL
Trimurty Public School
Sargaon, Dist. Mungeli C.G.)

Scanned by CamScanner